



सत्यमेव जयते

## भारत सरकार

# पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं ८बी/यू.पी./०४/५१/२०१५/एफ.सी. /२५।

दिनांक: ११-४-१६

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),

वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : 800 के०वी०एच०बी०डी०सी०, चम्पा-कुरुक्षेत्र पारेषण लाईन (नौगाँव से चौपुला तक) के निर्माण हेतु इटावा में 1.0350 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 25 वृक्षों के पातन, महोबा में 0.1932 हेठो संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11 वृक्षों के पातन तथा उरई में 0.4554 हेठो संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 22 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 1.6836 हेठो संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 58 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक- 88/11सी-यू०पी००१७/२०१५ दिनांक 18.07.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर पत्रांक-1128/11सी-यू०पी०-०१७/२०१५, दिनांक-21.11.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-24.06.2016 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 800 के०वी०एच०बी०डी०सी०, चम्पा-कुरुक्षेत्र पारेषण लाईन (नौगाँव से चौपुला तक) के निर्माण हेतु इटावा में 1.0350 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 25 वृक्षों के पातन, महोबा में 0.1932 हेठो संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11 वृक्षों के पातन तथा उरई में 0.4554 हेठो संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 22 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 1.6836 हेठो संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 58 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 3.3672हेठो पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०प० 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- (ख) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०बी०-25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार

11/४/१६

का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, मे जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि की ई पोर्टल की रसीद/बैंक ड्राफट/आर0टी0जी0एस0/एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस—पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

- (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी. वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
  5. प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होगी।
  6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुरक्षित परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (के0)

#### प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्य०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, इटावा एवं महोबा, उ0 प्र0।
4. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि�0, 3517, पटेल नगर, नियर जयसवाल टावर, उरई, उ0 प्र0।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (के0)